

**Form No. III****फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

मुकाम चित्तौड़गढ़

लक्ष्मण

बनाम

सोहन वगैराह

कार्यवाही अन्तर्गत :-

धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

किस्म मुकदमा

राजस्व अपील

नं०

**018**

सन्

**2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी हाजिर। हाजिर अधिवक्ता अपीलार्थी आरसी शर्मा ने आदेशिका पर <b>NOT PRESS</b> अंकित कर निवेदन किया गया की अपीलार्थी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जावे। हाजिर वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस बाबत् कार्यवाही विद्दो को एक तरफा सुना गया। वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस बाबत् कार्यवाही विद्दो का चिंतन-मनन किया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हाजिर वकील अपीलार्थी स्वयं अपनी अपील नहीं चलना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में वकील अपीलार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है, एवं अपील अपीलार्थी को विद्दोल में खारीज किया जाता है। तद्नुसार अपील अपीलार्थी को विद्दोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">-ह०- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 28.10.2025</p> 	